राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(28)ग्रावि/नरेगा/एनआरईजीएस/08-09 जयपुर, दिनांक : 21 APR 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त (राजस्थान)।

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के तहत श्रमिकों का भुगतान पोस्ट ऑफिस/ बैंक के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत नियोजित किये गये श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पोस्ट ऑफिस/ बैंक में खाते खुलवाये जाकर किये जाने के निर्देश समय-समय पर दिये जाते रहे हैं।

जिलों से प्राप्त सूचना एवं अधिकारियों के निरीक्षण से यह पाया गया है कि जिलों की कई पंचायतों में श्रमिकों को भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों को भुगतान 15 दिवस में किया जाना अनिवार्य है।

स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि भुगतान 25.0409 तक कराना सुनिश्चित करे एवं यदि पोस्ट ऑफिस को वाहन आदि की आवश्यकता हो तो उपलब्ध करावें। जिन व्यक्तियों द्वारा अभी तक भी किन्हीं कारणों से पोस्ट ऑफिस/बैंक में खाते नहीं खोले गये है, उनका भुगतान अपवाद स्वरूप तहसीलदार के माध्यम से पटवारी, ग्राम सेवक की उपस्थिति में नकद कराएं।

भुगतान में हो रहे विलम्ब को देखते हुये आपसे यह अपेक्षा है कि आप अपने स्तर पर यह मॉनिटरिंग करें कि ब्लॉक की कुल पंचायतों में से कितनों में भुगतान हुआ है या नहीं। जिन व्यक्तियों ने कार्य किया है उनका भुगतान समय पर न होने से कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड सकता है।

यह भी आवश्यक है जो जो मस्टररोल कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किये जाते है वे पारित होकर 10 दिन में कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो जाये, जिनमें ऐसा न हो उनके विरूद्ध एफआईआर दायर की जाकर कडी कार्यवाही की जाये।

भवदीय,
17/4/09
(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(नरेगा), राजस्थान को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।

(परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)

D:\Rishi\MS Word File\III FASE DISTRICT.doc